



2026:AHC:162604-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 22930/2026

राकेश कुमार अग्रवाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सौरभ पांडेय

प्रत्युत्तरदाता(गण)के अधिवक्ता : अनुराग यादव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी
माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह

1. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ पांडेय, राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अखिलेश्वर सिंह एवं प्रत्युत्तरदाता-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग यादव को सुना।
3. वर्तमान रिट याचिका प्रत्युत्तरदातागण को संबंधित प्रत्युत्तरदाता द्वारा कथित रूप से उपयोग/अधिग्रहित की गई अतिरिक्त भूमि के लिए याचिकाकर्ता को पर्याप्त प्रतिकर (मुआवजा) अवमुक्त करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ योजित की गई है। वैकल्पिक रूप से, संबंधित प्रत्युत्तरदाता को दिनांक 02.12.2025 के प्रत्यावेदन को एक निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि याचिकाकर्ता गाटा संख्या 190 वाली भूमि का स्वामी है, जिसे दिनांक 19.11.2011 को विक्रय विलेख (बैनामा) के माध्यम से क्रय किया गया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आवश्यक भूमि के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अंतर्गत दिनांक 15.09.2012 को एक अधिसूचना जारी की थी। यह तर्क दिया गया है कि फिरोजाबाद बाई-पास का निर्माण करते समय, प्रत्युत्तरदाता अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की जोत का उपयोग किया। याचिकाकर्ता के विद्वान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिवक्ता ने उप-जिला मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2026 पर भरोसा जताया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार किया गया था और उप-जिला मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद ने परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई., ए-208, कमला नगर, आगरा से याचिकाकर्ता की जोत का वास्तविक सीमांकन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। यद्यपि, एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों द्वारा असहयोग किए जाने के कारण, स्थल पर वास्तविक सीमांकन नहीं किया जा सका। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के रिट अधिकारिता का आह्वान करने के लिए विवश होना पड़ा है।

5. इसके विपरीत, प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर मांगी गई राहत का विरोध किया कि यह विषय मूल रूप से याचिकाकर्ता की जोत के वास्तविक सीमांकन से संबंधित है और इसलिए, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका के माध्यम से आने के स्थान पर, उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 (संक्षेप में "संहिता, 2006") के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक उपचार का लाभ उठाना चाहिए। संहिता, 2006 स्वयं में एक पूर्ण अधिनियम होने के नाते ऐसी व्यथाओं के निवारण के लिए एक संपूर्ण तंत्र प्रदान करता है, अतः वर्तमान याचिका इस प्रक्रम पर पोषणीय नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त विषय का रिट अधिकारिता में उचित परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यद्यपि, उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि वास्तविक सीमांकन किए जाने पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 12.05.2016 के आलोक में याचिकाकर्ता की शिकायत का परीक्षण किया जा सकता है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि काश्तकारों (भूमिधारकों) की व्यथा, जो अपनी भूमि पर कुछ अधिकार/स्वत्व का दावा करते हैं, के निवारण के लिए राज्य सरकार ने एक विस्तृत शासनादेश दिनांक 12.05.2016 जारी किया था, जो यह प्रावधान करता है कि यदि दावेदार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना दावा प्रस्तुत करता है, तो अधिनियम, 2013 के प्रकाश में पर्याप्त प्रतिकर सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा उस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार जब याचिकाकर्तागण के पास प्रभावकारी उपचार उपलब्ध है, तो इस विषय को जिला स्तरीय समिति को संदर्भित किया जाना चाहिए, जो एक उचित समय के भीतर याचिकाकर्तागण के दावे का परीक्षण कर सकती है और अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष/जिलाधिकारी को सौंप सकती है, जो तदनुसार पर्याप्त प्रतिकर प्रदान कर सकते हैं।

7. विधि की स्थिति भली-भांति स्थापित है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300ए और 31ए के दृष्टिगत, भूमि के स्वामी को विधि के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है, वह भी उचित प्रतिकर प्रदान करने के पश्चात, यदि ऐसी भूमि राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। चूंकि सर्वोपरि अधिकार (एमिनेंट डोमेन) की ऐसी शक्ति विवाद में नहीं है, इसलिए हमें शासनादेश दिनांक 12.05.2016 के दृष्टिगत इस प्रक्रम पर इस प्रकरण की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों तथा वर्तमान विषय में मांगी गई राहत पर विचार करते हुए, हम वर्तमान याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित करते हैं कि याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर शासनादेश दिनांक 12.05.2016 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष वर्तमान आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि ऐसा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जिला स्तरीय समिति याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यवाही को शीघ्रता से, अधिमानतः उसके पश्चात बारह सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिया जाए।

4 अगस्त, 2026

मुकेश कुमार

(न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।